# परिशिष्ट-ए

**एकीकृत पे रोल और लेखा प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल और उप मॉड्यूलों के प्रक्रिया प्रवाह और अंतर संबंध**

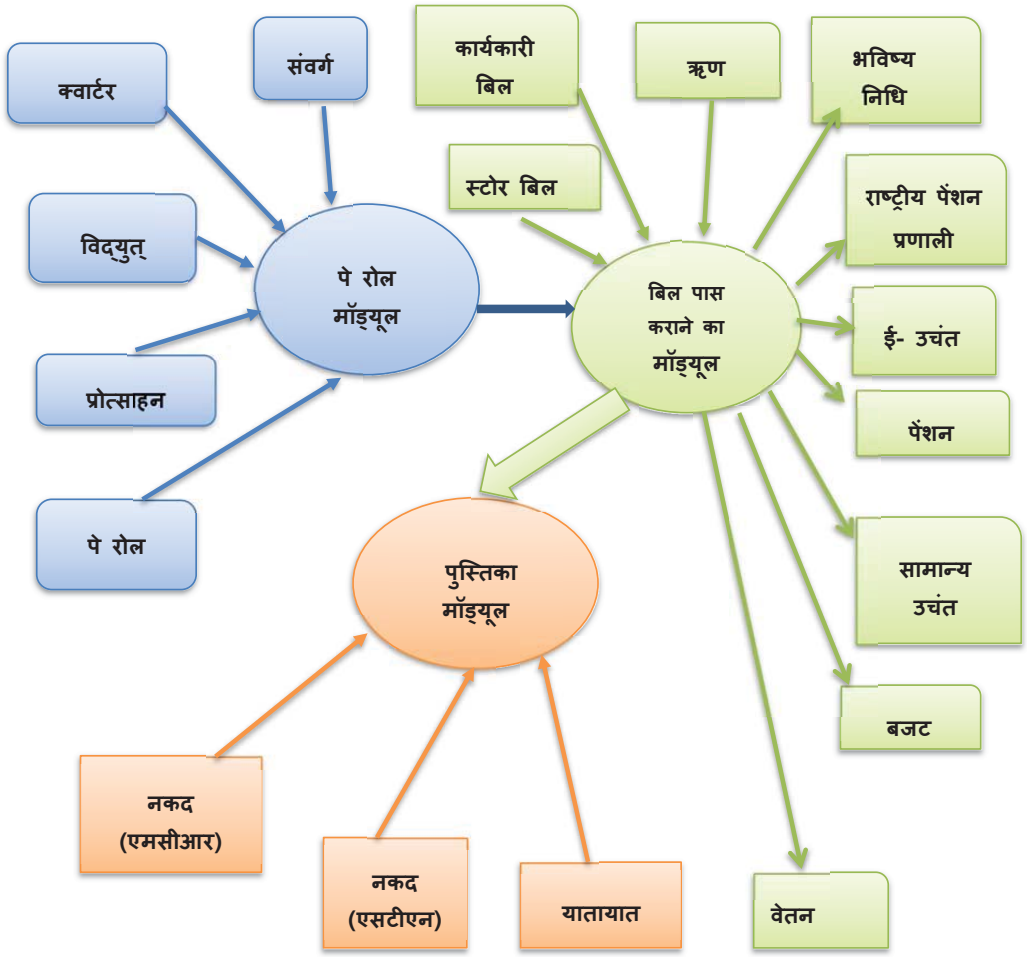


* *अन्य में, रात्रि ड्यूटी भत्ता, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, ओवरटाइम (समयोपरि) भत्ता, यात्रा भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, किलोमीटर भत्ता, बोनस, महंगाई भत्ता बकाया आदि शामिल हैं।*

## परिशिष्ट-बी

| नमूना जांच के लिए चयनित नमूना आकार को दर्शाता विवरण | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **श्रेणी** | **नमूने के चयन के लिए मानदंड** | **चयनित नमूना** |
| 1 | **लेखाकरण इकाईयां (एयू)** | 100 प्रतिशत | **193*** |
| 2 | **बिल इकाईयां (बीयू)** | प्रत्येक एयू से 15 प्रतिशत | **2760** |
| 3 | **व्यय करने वाली इकाईयां (एसपीयू)** | प्रत्येक एसपीयू से 25 प्रतिशत | **1081** |
| 4 | **सेवा रिकॉर्ड** | प्रत्येक चयनित बीयू से 20 प्रतिशत कर्मचारी अधिकतम 100 कर्मचारियों तक | **34673** |
| 5 | **वाउचर** | प्रत्येक चयनित एसपीयू से वाउचर का 20 प्रतिशत अधिकतम 100 वाउचर तक | **37854** |
| 6 | **सामान्य पेंशन** | प्रत्येक एयू का 50 प्रतिशत अधिकतम 50 मामलों तक | **5729** |
| 7 | **पारिवारिक पेंशन** | प्रत्येक एयू का 50 प्रतिशत अधिकतम 50 मामलों तक | **1613** |
| 8 | **अन्य पेंशन** | 100 प्रतिशत | **750** |

*** कोविड-19 के कारण केवल 173 एयू की नमूना जांच की गई थी।**

# परिशिष्ट-सी

| एकीकृत पे रोल और लेखा प्रणाली अनुप्रयोग के मॉड्यूल और उप-मॉड्यूल को दर्शाता विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **मॉड्यूल** | **उप-मॉड्यूल** | | |
| 1 | **संवर्ग**<br>(कर्मचारी डेटा, अवकाश, तैनाती आदि का रखरखाव) | कार्मिक | अवकाश | वृत्ति |
| | | वेतन वृद्धि | संस्वीकृति पुस्तिका | संवर्ग रिपोर्ट |
| 2 | **पेरोल**<br>(वेतन बिल तैयार करने, वेतन बिल पास करने, वेतन के लिए चेक प्रिंटिंग और नकद पुस्तिका तैयार करना शामिल) | पेरोल | अवकाश नकदीकरण | आयकर |
| | | बोनस | नकद क्षतिपूर्ति (आरपीएफ) | यात्रा भत्ता |
| | | संतान शिक्षा भत्ता | चालन भत्ता (सीएमएस के साथ जुड़ा हुआ) | राष्ट्रीय अवकाश भत्ता |
| | | रात्रि ड्यूटी भत्ता | ओवर टाइम | अवकाश नकदीकरण |
| 3 | **भविष्य निधि**<br>(कर्मचारियों की पीएफ लेखा बही का रखरखाव, पीएफ अग्रिम/निपटान बिल पास करना, ब्याज गणना और खातों को बंद करना) | पीएफ आवेदन | पीएफ संस्वीकृति | पीएफ बिल पास करना |
| | | पीएफ निपटान | पीएफ लेखा बही | पीएफ का मिलान |
| | | पीएफ ब्याज गणना | | |
| 4 | **विद्युत्**<br>(कर्मचारियों के मासिक वेतन से **विद्युत्** प्रभारों की वसूली) | क्वार्टर के लिए **विद्युत्** प्रभार | ऊर्जा बिल पोस्टिंग | |
| 5 | **बिल पास करना**<br>(सरकारी ई-मार्केटिंग, संविदाकारों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके साथ किए गए करारों और खरीद आदेशों के निष्पादन में प्रस्तुत बिलों को पारित करने की सुविधा प्रदान करता है) | सीओ6 | बिलों को पास करना (स्थापना, पीएफ और निपटानों के अलावा अन्य) | कार्य रजिस्टर |
| | | सीओ7 | | |
| 6 | **बुक्स**<br>(जर्नल वाउचर की पुष्टि, ट्रायल बैलेंस, लेखा बही और चालू लेखे का अनुसूचियों के साथ बनाना (अनुमानित और वास्तविक) | चेक प्रिंटिंग | जर्नल वाउचर | ई-रेकोन के साथ इंटरफेसिंग |
| | | चालू लेखा (जिसमें राजस्व और पूंजी सूची शामिल हैं) | चेक मिलान | आरबीआई मिलान |
| | | आरआईबी (बैंक में प्रेषण) | | |

| एकीकृत पे रोल और लेखा प्रणाली अनुप्रयोग के मॉड्यूल और उप-मॉड्यूल को दर्शाता विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **मॉड्यूल** | **उप-मॉड्यूल** | | |
| 7 | **पेंशन**<br>(पीपीओ का बनाना और पेंशन बिल जैसे डीसीआरजी और कम्यूटेशन) | पेंशन | निपटान बिलों को तैयार करना और पास करना | ई-पीपीओ |
| 8 | **ई-उचंत**<br>(स्थापना **उचंत** का रखरखाव) | ऋण और अग्रिम | **उचंत** रजिस्टरों का रखरखाव | सामान्य पुस्तिकाओं के साथ मिलान |
| | | ब्याज की गणना | | |
| 9 | **जी-उचंत**<br>(विभिन्न **उचंत** शीर्षों के तहत बकाया राशि का समाशोधन और शेषों को बनाए रखने की सुविधा के लिए **उचंत** शेष की छमाही समीक्षा) | सामान्य उचंत रजिस्टर | | |
| 10 | **बजट**<br>(बजट अनुमान और अनुदान, संशोधित अनुमान और अनुदान, अंतिम संशोधन जैसे सभी अनुमान) | बजट (राजस्व) | बजट (पूंजी) | |
| 11 | **बिल**<br>(दावे को दर्ज करने के लिए प्रारंभिक बिल तैयार करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय को सक्षम बनाता है, दावे की प्रमाणिकता की जांच करता है और इसे पारित करने के लिए सहयोगी खातों में अग्रेषित करता है) | कार्यकारी बिल रजिस्टर | | |
| 12 | **प्रोत्साहन**<br>(प्रोत्साहन के संसाधन हेतु प्रोत्साहन की गणना और प्रोत्साहन खंड के लिए बुनियादी डेटा दर्ज करने के लिए कार्यशालाओं के समय कार्यालय द्वारा उपयोग किया जाता है) | कार्यशाला प्रोत्साहन | | |
| 13 | **नकद (एमसीआर)**<br>(विविध नकद प्राप्तियों के माध्यम से नकद कार्यालय में प्राप्त धन का विवरण प्राप्त करता है) | नकद कार्यालय – विविध नकद प्राप्तियां | | |
| 14 | **नकद (एसटीएन)**<br>(नकद कार्यालय में स्टेशन आय का लेखाकरण) | नकद कार्यालय - नकद प्रेषण नोट | | |

| एकीकृत पे रोल और लेखा प्रणाली अनुप्रयोग के मॉड्यूल और उप-मॉड्यूल को दर्शाता विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **मॉड्यूल** | **उप-मॉड्यूल** | | |
| 15 | **वेतन**<br>(कर्मचारियों और तीसरी पार्टियों को विभिन्न स्थानों पर स्थित वेतन कार्यालय के कैशियर द्वारा वितरित नकद और चेक का विवरण बनाए रखें) | पीएमआर का सृजन | | |
| 16 | **स्टोर लेखा**<br>(स्टोर बिलो का पंजीकरण जिसमें ईंधन बिल, पंजीकृत स्टोर बिल पास कराना, कटौतियों की वसूली, प्रतिभूति जमा की वापसी आदि शामिल है) | बिल पास कराना | आईआरई पीएस और आईएमएमएस के साथ इंटरफेसिंग | |
| 17 | **क्वार्टर**<br>(क्वार्टर डेटा का रख-रखाव और लाइसेंस फीस की वसूली) | क्वार्टर मास्टर | क्वार्टर आवंटन | क्वार्टर का कब्जा |
| | | क्वार्टर का खाली होना | किराया और जल प्रभार | |
| 18 | **ऋण**<br>(ऋण के लिए कार्यकारी इकाईयों को निधि आबंटन, ऋण संस्वीकृति ज्ञापन और ऋण स्वीकृति के बाद बिल पास कराना आदि) | ऋण | | |
| 19 | **एनपीएस**<br>(एनपीएस बिल पास कराना और एनएसडीएल वेबसाइट पर एनपीएस डेटा अपलोड करना) | समायोजन बिल तैयार करना और पास कराना | एनपीएस पीपीओ | |
| 20 | **यातायात**<br>(कोचिंग से आय, माल से आय और विविध आय प्राप्त करता है) | स्टेशन आय (कोचिंग माल, विविध अन्य आय) | | |

## परिशिष्ट-डी

| अपवाद रिपोर्ट | | |
|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **रिपोर्ट का विवरण** | **सूचीबद्ध मदों की संख्या** |
| 1 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनकी रेलवे में तैनाती की तिथि 2004 से बाद की है और कर्मचारी प्रकार पीएफ है'' | 408 (पूरे-10, उपूरे-53, पूसीरे-3, दमरे-335 और दपूरे-7) |
| 2 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनकी रेलवे में तैनाती की तिथि 2004 से पहले की है और कर्मचारी प्रकार एनपीएस है'' | 133 (पूतरे-2, पूमरे-01, पूरे-27, दमरे-103) |
| 3 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनकी कर्मचारी प्रकार पीएफ है परंतु एनपीएस वसूली की गई है'' | 561 (पूतरे-36, पूमरे-1, उमरे-1, उपूरे-53, उसीरे-1, उपरे-10, उरे-32, दपूरे-384, दरे-41, पमरे-2) |
| 4 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनकी कर्मचारी प्रकार एनपीएस है परंतु पीएफ वसूली की गई है'' | 159 (पूमरे-7, उमरे-3, उपूरे-1, दमरे-135, उरे-11, दरे-1, पमरे-1) |
| 5 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनकी ग्रेड पे उनके पे बैंड से संबंधित नहीं है'' | 424 (पूरे-2, पूमरे-417, दपूमरे-2, दपूरे-1, दरे-2) |
| 6 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनका कर्मचारी प्रकार एनपीएस से संबंधित है और पीआरएएन वैध नहीं है'' | 14855 (मरे-18, पूतरे-1469 पूमरे-259, पूरे-2168, उमरे-279, उपूरे-1421, उसीरे-969, उरे-1147, उपरे-33 दमरे-2695, दपूरे-1473, दरे-1088, दपरे-948, पमरे–888) |
| 7 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनके बायोडाटा में कोई अनिवार्य फील्ड भरा नहीं गया है'' | 11709 (मरे-110, पूतरे-1243, पूमरे-2074, पूरे-12, उमरे-248, उपूरे-136, उसीरे-2301, उरे-1093 उपरे-237, दपूरे-1005, दरे-2380, पमरे-870) |
| 8 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनकी पीआरएएन संख्या डुप्लीकेट है'' | 23072 (मरे-152, पूतरे-5040, पूमरे-1897, पूरे-54, उमरे-797, उपूरे-2157, उसीरे-1115, उरे-2940, उपरे -110, दमरे-6, दपूमरे-748, दपूरे-3309, दरे-4526, दपरे-221) |
| 9 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनके पास, डुप्लीकेट पेंशन खाता संख्या है'' | 2748 (पूमरे-1823, पूरे-128, दमरे-63, दरे-734) |
| 10 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनके पास, डुप्लीकेट पैन है'' | 1497 (मरे-2, पूतरे-239, पूमरे-58, पूरे-452, उमरे-27, उपूरे-108, उसीरे-123, उरे-157, उपरे-3, दपूमरे-27, दपूरे-141, दरे-160) |
| 11 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनके पास, डुप्लीकेट आधार संख्या है'' | 209 (मरे-1, पूतरे-38, पूमरे-18, पूरे-56, उरे-34, उमरे-36, उसीरे-4, दपूमरे-14, दरे-6, पमरे-2) |
| 12 | ''उन कर्मचारियों की सूची जिनकी रेलवे में तैनाती तिथि अवैध है (15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर)'' | 2357 (मरे-141, पूतरे-112, पूमरे- 373, पूरे-250, उमरे-24, उपूरे-130, उसीरे-98, उरे-213, उपरे-13, दमरे-239 दपूमरे-99, दपूरे-229, दरे-266 पमरे-148, दपरे-13, परे-9 |

# परिशिष्ट-ई

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| **3.2 (पीएफए की सिफारिशें)** | i. समिति ने सिफारिश की कि लॉग-इन के लिए ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैध होनी चाहिए। यह पाया गया कि ओटीपी 24 घंटे के बाद भी वैध थी। रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जून 2021) कि ओटीपी में बार-बार बदलाव से प्रयोक्ता का कार्य प्रभावित होगा। मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि समिति ने इस संदर्भ में सिफारिश करने से पहले प्रणाली को होने वाले सभी संभावित सुरक्षा खतरों पर विचार किया होगा।<br>ii. कर्मचारियों की पहली नियुक्ति के मामले में, आईपीएएस पर पैनल उपलब्ध कराना चाहिए और पैनल पर उपलब्ध ब्यौरे नियुक्ति पत्र और पैनल डेटा पर उपलब्ध अंगूठे की छाप से मेल खाने चाहिएं। यह सिफारिश अभी कार्यान्वित की जानी थी। रेल मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया। हालांकि, आईपीएएस के साथ लिंक करने हेतु कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।<br>iii. यह भी सिफारिश की गई थी कि आईपीएएस में उचंत और अवकाश अभिलेख मॉडयूल कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। जोनल रेलवे ने इन मॉड्यूलों को कार्यान्वित किया था। तथापि, अवकाश लेखाओं और उचंत रजिस्टरों के रख-रखाव/अद्यतन करने के लिए इन मॉड्यूलों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। उमरे में नमूना जांच से पता चला कि अवकाश और उचंत मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए थे परंतु ये उचित रूप से कार्यात्मक नहीं थे। अवकाश लेखाओं और मैंनुअल रूप से बनाए गए लेखाओं के बीच अंतर देखे गए थे। इससे आईपीएएस के अवकाश और उचंत मॉड्यूल में डेटा प्रवाह में कमी का संकेत मिला। |
| **3.3 मॉड्यूलों/उप-मॉड्यूलों के कार्यान्वयन की स्थिति** | i. मॉड्यूल-वार, कार्यान्वयन की प्रतिशतता 13.25 प्रतिशत (यातायात मॉड्यूल) और 94.21 प्रतिशत (कार्यकारी बिल मॉड्यूल) के बीच थी।<br>ii. बिल पास कराने वाले मॉड्यूलों के अंतर्गत आने वाले सभी उप-मॉडयूलों (निर्माण कार्य रजिस्टर को छोड़कर) को 90 प्रतिशत से अधिक लेखांकन इकाईयों में कार्यान्वित किया गया था। तीन जोनल रेलवे[44] में 52 लेखांकन इकाईयों में से केवल आठ इकाईयों में रजिस्टर मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया था।<br>iii. संस्वीकृति पुस्तिका उप-मॉड्यूल (संवर्ग मॉड्यूल के अंतर्गत) को आठ जोनल रेलवे[45] की 69 लेखांकन इकाईयों में से किसी में भी कार्यान्वित नहीं किया गया था।<br>iv. ई-उचंत मॉड्यूल के अंतर्गत ब्याज गणना उप-मॉड्यूल को सात जोनल रेलवे[46] की 61 लेखांकन इकाईयों में से किसी में भी कार्यान्वित नहीं किया गया था।<br>v. पेरोल मॉड्यूल के अंतर्गत उप-मॉड्यूल अवकाश और परिचालन भत्ता में कार्यान्यन की सीमा 80 प्रतिशत से कम थी।<br>vi. 44 कार्यशाला एयू में से 28 कार्यशाला एयू *(64 प्रतिशत)* में प्रोत्साहन मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया था।<br>vii. कुल लेखांकन इकाईयों में तीन मॉड्यूल-क्वार्टर, विद्युत और यातायात मॉड्यूल क्रमश: 15.27 *प्रतिशत*, 23.82 *प्रतिशत* तथा 13.25 *प्रतिशत (कुल लेखंकान इकांइयों का)* में कार्यान्वित किए गए थे। |

[44] ***दरे(3), उरे(4) और पमरे (1)***

[45] ***पूतरे, पूमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दरे, दपरे और परे***

[46] ***पूतरे, पूमरे, उमरे, पूसीरे, दपूमरे, दपूरे और दपरे***

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| **3.4.1**<br>***नकदी (एमसीआर) मॉड्यूल और नकदी (एसटीएन) मॉड्यूल*** | i. पूरे में, विभिन्न तिथियों (29 मार्च 2019, 18 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020) के लिए विविध नकद प्राप्ति (एमसीआर) रजिस्टर में ₹ 129.37 करोड़ के एक समान अंतिम शेष की सूचना दी गई थी।<br>ii. धन प्राप्ति रजिस्टर (एमआरआर) में 21 मामलों में डुप्लीकेट चैक संख्या निर्दिष्ट थी जिसमें राशि ₹ 52.67 लाख[47] शामिल है।<br>iii. पूरे में, प्रणाली ₹ 50.27 करोड़ के धनराशि मूल्य के 874 मामलों में बैंक का नाम प्राप्त करने में विफल रही। 2018-19 के धन प्राप्ति रजिस्टर (समेकित) में ₹24.70 करोड़ के धनराशि के 39 मामलों में चैक संख्या निर्दिष्ट नहीं थी।<br>iv. पूरे में, दो मामलों में धन को नकद में जमा किया गया था। एक ही व्यक्ति द्वारा दो विभिन्न जमाओं के लिए एक ही धन प्राप्ति संख्या का उपयोग किया गया था। |
| **3.4.1.1**<br>**पेरोल मॉड्यूल के साथ अवकाश मॉड्यूल को सम्बद्ध न करना** | i. आठ जोनल रेलवे[48] में, उन 39 कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी गई थी, जो वेतन वृद्धि की तिथि पर अवकाश पर थे।<br>ii. पूरे (4) और उमरे (5) के नौ कर्मचारियों के संदर्भ में वेतन बिल के अवकाश एवं अनुपस्थिति विवरण में दर्शाए गए अवकाश तथा वार्षिक अवकाश लेखा के बीच असमानता थी।<br>iii. पूतरे के एक कर्मचारी को वर्ष 2018-19 के लिए अधिक उत्पादकता सम्बद्ध बोनस (पीएलबी) के रूप में ₹ 10,471 का भुगतान किया गया था, वह 2018-19 के दौरान 214 दिनों (31 दिनों के लिए एलडब्ल्यूपी और 183 दिनों के लिए अनुपस्थित) तक ड्यूटी से अनुपस्थित था। |
| **3.5.1**<br>**संवर्ग मॉड्यूल** | i. आईपीएएस कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि नियुक्ति तिथि/रेलवे में नियुक्ति तिथि उपलब्ध नहीं थी तो लेखांकन इकाईयों द्वारा तैयारी में विलंब से बचने के लिए '15-08-2000' (पीएफ योजना) या '15-08-2004' (एनपीएस योजना) का उपयोग किया जाना था। इस गलत डेटा को प्रणाली शुरू करने से पूर्व आईपीएएस में ''डेटा सुधार'' विकल्प का प्रयोग करते हुए परिशोधन करना आवश्यक था। तथापि, यह देखा गया कि छ: जोनल रेलवे[49] और आरबी से संबंधित 2,072 कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि में प्रणाली शुरू करने के बाद भी परिशोधन नहीं किया गया था।<br>पांच क्षेत्रीय रेलवे [50] और आरबी में 1,15,578 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले, दर्शाई गई थी। दमरे के तीन कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक दर्शाई गई थी। उरे के 408 कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति की तिथि माह का अंतिम दिन नहीं था। |
| **3.5.1**<br>**भविष्य निधि मॉड्यूल** | i. आईपीएएस डेटा और पीएफ लेजर के बीच शेषों में बेमेलता थी। पांच क्षेत्रीय रेलवे[51] से संबंधित 88 कर्मचारियों के मामले में आईपीएएस डेटा और पीएफ लेजर के बीच शेषों में बेमेलता थी। यह अंतर (-) ₹ 0.90 लाख (पूतरे) से ₹ 22.86 लाख (पमरे) के बीच थी। दमरे के 446 कर्मचारियों के संबंध में प्राइम अनुप्रयोगों और आईपीएएस से पोर्ट किए गए डेटा के आदि शेषों के बीच बेमेलता थी। चार क्षेत्रीय रेलवे[52] में, 2,644 कर्मचारियों के प्रारम्भिक शेष और पिछले वर्ष के अंतिम शेष के बीच भिन्नता थी। |

[47] ***पूरे-09 मामले (₹ 43.30 लाख) और उमरे-12 मामले (₹ 9.37 लाख)***

[48] ***मरे-1, पूतरे-2, उपूरे 10, उपरे 6, उरे 7, दमरे-10, दपूरे-2 और दरे-1***

[49] ***मरे-337, उमरे-1, उपूसीरे-11, उरे-543, आरबी-1124, दमरे-46 और परे-10***

[50] ***पूरे-55427, उमरे-728, उरे-408, आरबी-1780, दपूरे-57231 तथा दपरे-4***

[51] ***पूतरे-20, पमरे-29, पूमरे-11, उपरे-27 तथा उमरे-1***

[52] ***पूतरे-1105, उरे-1315, दमरे–128 तथा दपूरे-96***

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| **3.5.1**<br>**पुस्तक मॉड्यूल** | i. 11 क्षेत्रीय रेलवे[53] में डेटा की पोर्टिंग न होने के कारण पूंजी और राजस्व लेजर रिपोर्ट पूरी, सटीक और विश्वसनीय नहीं हैं। परिणामस्वरुप, इन रिपोर्टों का उपयोग अंतिम लेखा तैयार करने में नहीं किया जा रहा था।<br>ii. दपरे में, चूंकि प्रारम्भिक शेष प्रणाली में पोर्ट नहीं किए गए थे, इसलिए पूंजी और राजस्व लेजर तैयार नहीं किये गये थे।<br>iii. उपरे में, पूंजी और राजस्व लेजर में पिछले वर्षों के शेष शामिल नहीं थे।<br>iv. राजस्व लेजर के आंकड़ों का राजस्व आवंटन रजिस्टर (आरएआर) से मिलान नहीं हुआ। अंतिम लेखाओं में, मैनुअल हस्तक्षेप से अंतरों को सही किया गया था, क्योंकि प्रणाली में सभी प्रासंगिक प्रविष्टियों को नहीं पकड़ा जा सका। (पूरे, उमरे और उपूरे)।<br>v. उमरे, पूतरे और दपूरे में चालू लेखा और राजस्व लेजर की अनुसूची की रिपोर्टों के आंकड़ों में बेमेलता देखी गई।<br>vi. आठ क्षेत्रीय रेलवे[54] और आरबी में ब्लॉक लेखा कार्यात्मक नहीं था। पांच क्षेत्रीय रेलवे[55] में, प्रणाली द्वारा सृजित और मैन्युअल रूप से संकलित ब्लॉक लेखा की वार्षिक रिपोर्टों के बीच अंतर था। |
| **3.5.1**<br>**ई-उचंत मॉड्यूल** | i. डेबिट शीर्ष रिपोर्ट उप-मॉड्यूल आईपीएएस में लेगेसी डेटा की पोर्टिंग न होने के कारण किसी भी क्षेत्रीय रेलवे में कार्यात्मक नहीं था। ऋण और अग्रिम (एचबीए और पीसी अग्रिम) के संबंध में मासिक लेजर रिपोर्टों से पता चला कि छह क्षेत्रीय रेलवे [56] से संबंधित 837 मामलों में ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष थे।<br>ii. आईपीएएस में लेगेसी डेटा के अपूर्ण पोर्टिंग के कारण उचंत शेष में वास्तविक आंकड़ों और आईपीएएस रिपोर्ट के आंकड़ों के बीच विसंगतियां थीं। परिणामस्वरूप, प्रणाली सृजित रिपोर्ट के बजाय छमाही समीक्षा रिपोर्ट को मैन्युअली बनाया गया था। |
| **3.5.2**<br>**भविष्य निधि मॉड्यूल** | i. नौ क्षेत्रीय रेलवे[57] और आरबी में 1,802 कर्मचारियों का ₹ 50.21 करोड़ का ऋणात्मक शेष था। दमरे के पांच कर्मचारियों के संबंध में पीएफ शेष में ₹ 0.25 लाख का ऋणात्मक ब्याज दिखाया गया। इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई थी।<br>ii. दो क्षेत्रीय रेलवे (पूतरे-1, दरे-168) में 169 कर्मचारी, जिनका ऋणात्मक पीएफ शेष ₹8.57 लाख रुपये था, अप्रैल 2016 के दौरान सेवानिवृत्ति हुए थे। हालांकि, पीएफ शेष को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी अग्रेनीत किया गया। ऋणात्मक शेष को संशोधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई (मार्च 2020)।<br>iii. तीन क्षेत्रीय रेलवे[58] और आरबी में, 384 कर्मचारियों ने अपने पीएफ लेखा में उपलब्ध क्रेडिट से ₹ 10.69 करोड़ अधिक आहरित किए।<br>iv. अंतिम निपटान के समय पूसीरे के 58 कर्मचारियों को पीएफ से ₹ 1.5 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान। उरे में 19 कर्मचारियों के पीएफ लेखाओं में ₹ 3.91 लाख का ऋणात्मक ब्याज दिखाया गया। दरे में तीन कर्मचारियों के प्रारम्भिक शेष और कुल क्रेडिट शून्य थे लेकिन उनके लेखाओं में ₹ 1.04 लाख का ब्याज क्रेडिट किया गया। |

[53] ***मरे, पूतरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दमरे, दपूरे, दरे, दपरे तथा पमरे***

[54] ***पूतरे, आरबी, दपूमरे, दरे, दपूरे, दमरे, दपरे परे तथा पमरे***

[55] ***पूरे, पूमरे, उपूरे, उमरे तथा उपरे***

[56] ***पूरे-55, उपूरे-93, उरे-77, पमरे-08, दरे-117 तथा उपरे-387***

[57] ***पूतरे-132, पूरे-07, आरबी-03, दपूरे-16, उरे-783, दरे-148, पूसीरे-58, उपूरे-354, उमरे-286 तथा परे-15***

[58] ***पूसीरे, उरे तथा दमरे***

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| | v. उरे में, 54 कर्मचारियों के मामले में, जो पीएफ के तहत शासित थे, की ₹ 15.85 लाख के अंशदान की वसूली एनपीएस के तहत की गई थी। उसी प्रकार 110 कर्मचारी, जो पांच क्षेत्रीय रेलवे[59] में एनपीएस के तहत शासित थे, से ₹ 27.24 लाख का पीएफ अंशदान लिया गया था।<br>vi. पांच क्षेत्रीय रेलवे[60] में, एनपीएस के तहत शासित 110 कर्मचारियों के मामले में ₹ 27.24 लाख की पीएफ अंशदान की वसूली की गई थी। दो क्षेत्रीय रेलवे[61] में ₹ 0.15 लाख का ब्याज 76 एनपीएस कर्मचारियों के पीएफ लेजर में क्रेडिट किया गया था।<br>vii. तीन क्षेत्रीय रेलवे[62] में 751 कर्मचारियों के पीएफ लेखाओं में पीएफ अंशदान उनकी सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान क्रेडिट किया गया था, जो सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान पीएफ अंशदान की वसूली न करने के मौजूदा नियमों के उल्लंघन में था। |
| **3.5.2**<br>**राष्ट्रीय पेंशन योजना मॉड्यूल** | i. एनपीएस श्रेणी के तहत सात क्षेत्रीय रेलवे[63] के 5,058 कर्मचारियों को पीएफ संख्या आवंटित की गई। 2016 से 2019 (एनआर) की अवधि के लिए एनपीएस के तहत आने वाले 14,424 कर्मचारियों के पीएफ लेजर लेखाओं में ₹ 4.38 करोड़ की ब्याज की राशि क्रेडिट की गई थी।<br>ii. तीन क्षेत्रीय रेलवे[64] के 14,529 कर्मचारियों के संबंध में पीआरएएन और पीएफ दोनों संख्या आवंटित की गई थी। उरे में 6,081 कर्मचारी पीएफ और एनपीएस दोनों की सुविधा का लाभ उठा रहे थे, 31 मार्च 2019 तक इन कर्मचारियों के पीएफ शेष के रूप में ₹ 26.59 करोड़ की राशि थी।<br>iii. एनपीएस के तहत आठ क्षेत्रीय रेलवे[65] और आरबी के 35,312 कर्मचारियों के लिए कोई पीपीएएन/पीआरएएन आवंटित नहीं किया गया था। पांच क्षेत्रीय रेलवे[66] के 253 कर्मचारियों के लिए पीआरएएन आवंटित नहीं किया गया। हालांकि, सरकार और कर्मचारी द्वारा एनपीएस योगदान किया गया था।<br>iv. अवैध/शून्य पीपीएएन/पीआरएएन के साथ नौ क्षेत्रीय रेलवे[67] में मामलों की संख्या 33,105 थी।<br>v. उरे में 2,729 कर्मचारियों के संबंध में पीआरएएन आवंटित किए गए लेकिन कोई वसूली नहीं हुई।<br>vi. पूरे में उन 157 कर्मचारियों से जनवरी से मार्च 2019 के दौरान ₹ 11.16 लाख की एनपीएस अंशदान राशि नहीं काटी गई, जिनके लिए पीआरएएन आवंटित किया गया था।<br>vii. 2016 से 2019 की अवधि के दौरान एनपीएस के तहत आने वाले 494 कर्मचारियों (उरे) के पीएफ लेजर लेखाओं में ₹ 91.59 लाख क्रेडिट (जमा) किए गए थे। इससे संकेत मिला कि ये कर्मचारी पीएफ के साथ-साथ एनपीएस की सुविधा का लाभ उठा रहे थे। |

[59] ***पूतरे-6, पूमरे-7, उमरे-21, पूसीरे-20 तथा दरे-56***
[60] ***पूतरे-6, पूमरे-7, उमरे-21, पूसीरे-20 तथा दरे-56***
[61] ***पूसीरे-20 तथा दरे–56***
[62] ***पूरे (1), उरे (748) तथा उमरे (2)***
[63] ***पूतरे-3384, पूमरे-7, पूरे-431, उमरे-559, उरे-149, दमरे-334 तथा दपूरे-194***
[64] ***पूरे-13594, उपूरे-929 तथा उरे-6***
[65] ***पूतरे-659, पूमरे-14, उमरे-10631, उपरे-795, उरे-6958, आरबी-59, दमरे-2635, दपूरे-2489 तथा दपरे-11072***
[66] ***पूतरे-1, पूमरे-14, उमरे-5, उरे-7 तथा दमरे-226***
[67] ***पूरे-21, पूमरे-1459, पूतरे-46, उरे-1445, उमरे-26919, पूसीरे-107, दमरे-192 दपूमरे-594 तथा दपूरे-2322***

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| **3.5.2**<br>**संवर्ग मॉड्यूल** | i. भारतीय रेलवे में, कर्मचारी संख्या को आईपीएएस में, मौजूदा 8 अंकों में पूर्वनिर्धारित तीन अंक जोड़कर 11 अंकों की विशेष संख्या बनायी गयी। यह पाया गया कि -<br>1. सात क्षेत्रीय रेलवे[68] के 15,828 कर्मचारियों के पास 11 डिजिट की कर्मचारी संख्या नहीं थी।<br>2. पांच क्षेत्रीय रेलवे[69] के 1,437 कर्मचारियों के पास कई कर्मचारी संख्याएं थी।<br>3. कर्मचारी आईडी के प्रारंभिक तीन अंक संबंधित कर्मचारी की एक विशेष लेखांकन इकाई के लिए विशिष्ट हैं। दपूमरे में, जोन की नौ लेखांकन इकाइयों के लिए कर्मचारी आईडी प्रारंभिक तीन अंकों के नौ प्रकार होने चाहिएं। हालांकि, यह पाया गया कि आवंटित कर्मचारी आईडी में प्रारंभिक तीन अंकों के 135 संयोजन थे, जिसका तात्पर्य वास्तविक नौ लेखांकन इकाइयों के बजाय दपूमरे में 135 लेखांकन इकाइयों का अस्तित्व था। गलत कर्मचारी आईडी का आवंटन आभासी कर्मचारी की उपस्थिति का जोखिम बढ़ा सकता है।<br>ii. उरे में खाली आधार संख्या (24 मामले), खाली पीएफ संख्या (12 मामले), खाली पीपीएएन संख्या (8 मामले), अगली वेतन वृद्धि की तारीख (10 **मामले**) आदि के कारण अलग-अलग मापदंडों का अभाव पाया गया।<br>iii. आईपीएएस में सृजित 'अपवाद रिपोर्ट' के अनुसार, डुप्लीकेट पीआरएएन वाले 23,072 कर्मचारी[70] थे।<br>iv. 'अपवाद रिपोर्ट' में 1,497 कर्मचारियों[71] के लिए डुप्लीकेट स्थायी लेखा संख्या और आईपीएएस में 209 कर्मचारियों[72] के लिए आधार संख्याओं का डुप्लीकेशन दर्शाया गया था।<br>v. दमरे में 70 कर्मचारियों का जन्म का वर्ष 2025 से लेकर 2049 तक था। पूरे और उमरे में 80,511 कर्मचारियों[73] की जन्मतिथि को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद दर्शाया गया। इसका तात्पर्य था कि बुनियादी डेटा सत्यापन गायब था। |
| **3.5.2**<br>**अवकाश मॉड्यूल** | i. 96 कर्मचारियों ने इस अवधि के दौरान 838 दिन की अवकाश का लाभ उठाया, जो रेल सेवा में उनकी कार्यग्रहण करने की तिथि से पहले था। 557 कर्मचारियों के अवकाश लेखाओं में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद छुट्टियां क्रेडिट की गई। (उरे)<br>ii. चार क्षेत्रीय रेलवे[74] में, 22 कर्मचारियों के अवकाश लेखाओं में ऋणात्मक शेष था। |

[68] ***उमरे-11, उपूरे-4, उरे-386, दमरे-40, दपूरे-8360, दपरे-98 तथा परे-6929***

[69] ***पूसीरे-6, उरे-303, दपूमरे-80, दपूरे-1020 तथा दपरे-28***

[70] ***मरे-152, पूतरे-5040, पूमरे-1897, उमरे-797, पूरे-54, उपूरे-2157, पूसीरे-1115, उरे-2940, उपरे-110, दमरे-6 दपूमरे-748, दरे-4526, दपूरे-3309 तथा दपरे-221***

[71] ***मरे-2, पूतरे-239, पूमरे-58, उमरे-27, पूरे-452, पूसीरे-123, उपूरे-108, उरे-157, उपूरे-3, दपूमरे-27, दपूरे-141 तथा दरे-160***

[72] ***मरे-1, पूरे–56, पूतरे-38, पूमरे-18, उरे-34, उमरे-36, पूसीरे-4, दपूमरे-14, दरे-6 तथा पमरे-2***

[73] ***पूरे-49, 138 तथा उमरे-31, 373***

[74] ***उपूरे-06, दपूमरे-05, दपूरे-01 तथा दरे-10***

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| **3.5.3**<br>**पे रोल मॉड्यूल** | **संतान शिक्षा भत्ता**<br>i. प्रथम स्टैण्डर्ड से पहले दो कक्षाओं की अनुमति के मौजूदा आदेशों का उल्लंघन करते हुए, उरे[75] में प्रथम स्टैण्डर्ड से पहले तीन कक्षाओं के लिए सीईए का भुगतान किया गया था।<br>ii. विकलांग बच्चे के लिए निर्धारित दर से दोगुनी दर पर सीईए के भुगतान के लिए आईपीएएस में कोई प्रावधान नहीं था जिसके परिणामस्वरूप सीईए का कम भुगतान[76] हुआ।<br>iii. मौजूदा संहितीय प्रावधानों में सबसे बड़े दो बच्चों के लिए सीईए को अनुमत किया गया है। दो क्षेत्रीय रेलवे (पूमरे और दपूरे) में तीसरे बच्चे को सीईए का अनियमित भुगतान[77] किया गया था।<br>iv. सीईए की स्वीकार्यता के लिए मौजूदा प्रावधानों को मार्च 2020 तक आईपीएएस में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.42 लाख तक के वेतन का अधिक भुगतान हुआ था। |
| | **यातायात भत्ता**<br>i. कार्यालय उद्देश्य के लिए वाहन के प्रावधान से संबंधित विवरण 12 जोनल रेलवे[78] और आरबी में उपलब्ध नहीं था।<br>ii. दमरे में, ₹ 9.30 लाख के यातायात भत्ते का उन कर्मचारियों को भुगतान किया गया था जिन्हें कार्यालय वाहन प्रदान किए गए थे।<br>iii. नौ जोनल रेलवे[79] के कर्मचारियों जो पूरे कैलेडर माह के दौरान अवकाश पर थे/ अनुपस्थित थे, को ₹ 25.45 लाख तक के यातायात भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया।<br>iv. उरे में, डेटा विश्लेषण से पता चला कि 1,613 कर्मचारियों, जो 2016-19 के दौरान एक माह से अधिक लम्बे अवकाश पर थे या निलंबित थे, को यातायात भत्ते का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.42 लाख का अधिक भुगतान हुआ। |
| | **राष्ट्रीय अवकाश भत्ता**<br>i. 2018-20 के दौरान, पूरे में 79,807 मामले पाए गए, जहां ₹ 1,890 की अधिकतम हकदारी से ज्यादा एनएचए का भुगतान किया गया था। एनएचए के भुगतान के लिए किए गए कुल ₹ 37.32 करोड़ के व्यय में से, अधिकतम हकदारी से ₹ 22.24 करोड़ का ज्यादा भुगतान किया गया।<br>ii. एनएचए पे लेवल 8 तक अराजपत्रित स्टाफ को देय है। मरे में पे लेवल 9 में 107 कर्मचारियों (नागपुर और मुम्बई डिवीजन) को ₹ 40,728 के एनएचए का अनियमित भुगतान किया गया था।<br>iii. पमरे में, एनएचए उप-माड्यूल और वेतन बिल माड्यूल में सृजित रिपोर्ट के बीच कर्मचारियों को भुगतान किए गए एनएचए में बेमेलता थी।<br>iv. जोधपुर डिवीजन के चार कर्मचारियों को ₹ 2,121 के एनएचए का अनियमित भुगतान किया गया जबकी वे अनुपस्थित थे/राजपत्रित अवकाश पर थे (उपरे)। |

*[75] दो संतानों के संबंध में ₹ 0.43 लाख का अधिक भुगतान*

*[76] पूमरे के एक कर्मचारी को ₹ 0.27 लाख का कम भुगतान*

*[77] ₹ 0.54 लाख की राशि*

*[78] पूतरे, पूमरे, उपूरे, उरे, उपरे, उमरे, पूरे, पमरे, दपूरे, पूमरे, पूसीरे और दरे*

*[79] पूतरे (₹ 0.07 लाख), उमरे (₹ 0.01), उपरे (₹ 0.37 लाख), दमरे (₹ 14.34 लाख), दपूरे (₹ 0.12 लाख), पमरे (₹ 0.38), मरे (₹ 7.10 लाख) पूमरे (₹ 0.14 लाख) और दरे (₹ 2.92 लाख)*

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| | **रात्रि ड्यूटी भत्ता**<br>i. दो जोनल रेलवे में 35 कर्मचारियों[80] के संबंध में ₹ 16,890 के एनडीए का अधिक भुगतान किया गया।<br>ii. उपरे में, मूल वाउचर के अनुसार चार कर्मचारियों (अजमेर डिवीजन) को ₹ 9,040 के एनडीए का भुगतान किया गया। हालांकि, आईपीएएस की एनडीए रिपोर्ट के अनुसार, एनडीए का भुगतान ₹ 16,016 दर्शाया गया था। इसी प्रकार, उमरे में, वेतन बिल और आईपीएएस में सृजित एनडीए रिपोर्ट के बीच बेमेलता थी। वेतन बिल के अनुसार एनडीए के लिए किया गया व्यय ₹ 26.86 लाख था, जबकि आईपीएएस ने ₹ 23.76 लाख का व्यय सूचित किया। |
| | **ऋण और अग्रिम**<br>i. उरे में, अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान 146 कर्मचारियों के संबंध में ₹ 32.81 लाख की राशि के मोटरसाईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम की वसूली पूरी की गई थी। हालांकि, वेतन और भत्ता डेटा के विश्लेषण से, पता चला कि इन अग्रिमों पर ब्याज की वसूली का कोई रिकार्ड नहीं था। इसी प्रकार, 56 कर्मचारियों को ₹ 18.54 लाख के पीसी अग्रिम के लिए ब्याज की वसूली का कोई रिकार्ड नहीं था। पूतरे में, ₹ 0.50 लाख[81] के पीसी और स्कूटर अग्रिम पर ब्याज की वसूली नहीं की गई थी।<br>ii. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, एचबीए (मूलधन) की अधिकतम 180 किश्तो और उस पर ब्याज की 60 किश्तों में वसूली की जानी चाहिए। आईपीएएस डेटा के विश्लेषण से पता चला कि एचबीए (मूलधन) की पांच मामलों (उरे) में 181 से 229 किश्तो और चार मामलों (दमरे) में 193 से 600 किश्तों में वसूली की जानी थी।<br>iii. एक कर्मचारी के पूरी सेवाकाल के दौरान केवल एक बार एचबीए की संस्वीकृति दी जाती है। हालांकि, आईपीएएस डेटाबेस के अनुसार, 124 कर्मचारियों (उरे) के संबंध में सेवाकाल के दौरान एचबीए की संस्वीकृति के कई रिकार्ड थे। |
| | **पे रोल**<br>i. 10 जोनल रेलवे[82] और आरबी में अनुशासनिक कार्यवाई के आधार पर वेतन में कमी के लिए या वेतन वृद्धि के स्थगन के लिए आईपीएएस में कोई प्रावधान नहीं था। इसे अर्जन/कटौती (ईडी) कोड लागू करके किया जा रहा था।<br>ii. **आईपीएएस में वेतन में कमी या वेतनवृद्धि के स्थगन के लिए प्रावधान पांच जोनल रेलवे[83] में उपलब्ध था। हालांकि, प्रणाली में पास/पीटीओ की वापसी जैसे गैर-वित्तीय निहितार्थों वाली शास्तियों को दर्ज करने के लिए प्रावधान नहीं था।** |

[80] *उपरे- ₹ 13,936 (34) और उरे- ₹ 2,954 (1)*

[81] *स्कूटर अग्रिम ₹ 0.33 लाख (तीन कर्मचारी) और पीसी अग्रिम ₹ 0.17 लाख (चार कर्मचारी)।*

[82] *उपरे, उमरे, दपूमरे, परे, पमरे,पूसीरे, दरे, दपरे, पूरे और दपूरे*

[83] *उपूरे, दमरे, दपूमरे, पूसीरे और उरे*

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| **3.5.3**<br>**बिल को पास करने का मॉड्यूल** | ***माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्रत्येक करदाता को दी जाती है, जो राज्यवार और पैन आधारित होगा। यह 15-अंक वाले जीएसटीआईएन प्रारूप में है। पहले दो अंक राज्य कोड के द्योतक है और अगले दस अंक करदाता का पैन है। तेहरवां अंक एक राज्य में पंजीकरण की संख्या के आधार पर दिया गया है। चौदहवां अंक स्वत: ही*** ''जेड'' होगा और आखिरी अंक जांच कोड के लिए होगा। बिल को पास करते समय, आईटीसी को ग्राह्याता के आधार पर टी।, टी 2, टी3 आदि के रूप में फ्लैग[84] किया गया है।<br>लेखापरीक्षा में पाया गया कि-<br>i. दस जोनल रेलवे[85] में आईटीसी के गलत फ्लैगिंग के 621 उदाहरण थे।<br>ii. पूमरे में 2018-20 के दौरान 895 मामलों में गलत जीएसटीआईएन का प्रयोग किया गया था।<br>iii. जुलाई 2017 से दिसम्बर 2019 (पूतरे) के दौरान बिल टाइप 'डब्ल्यूओसी (निर्माणकार्य संविदा)' के साथ 2405 संव्यवहारों के लिए कोई जीएसटीआईएन नहीं था।<br>iv. उरे में जीएसटीआईएन संख्या के एक विश्लेषण में निम्न विसंगतियां पाई गई:<br>1. 29 जीएसटीआईएन के संबंध में, गलत राज्य कोड दर्शाये गए थे। राज्य कोड या तो अक्षरों में या अक्षरांकीय में दर्शाये गए थे।<br>2. 51 पार्टी कोड़ के साथ जोड़े गए 41 जीएसटीआईएन संख्याएं वैद्य नहीं थी क्योंकि उनमें 14वां अक्षर 'ज़ेड' नहीं था। जुलाई 2017 से मार्च 2019 के दौरान, इन अवैध जीएसटीआईएन संख्याओं से संबंधित ₹ 1,594.00 करोड़ के मूल्य वाले 262 बिलों को भुगतान के लिए पास किया गया था।<br>v. पूरे में, बिल के प्रकारों और विवरण के उचित संकेतक के बिना आईटीसी की फ्लैगिंग को किया गया था। बिल के टाइपों और विवरण के संदर्भ के बिना क्रमश: ₹ 7.49 करोड़ के मूल्य के 2,275 संव्यवहारों को सी2 (आंशिक क्रेडिट) के रूप में फ्लैग किया गया था और ₹ 16.67 लाख के 10 संव्यवहारों को टी4 (पूरा क्रेडिट) के रूप में फ्लैग किया गया था। टी1, टी2 और टी3 के फ्लैगिंग के समान उदाहरणों जहां बिलों के टाइपों और विवरण के संकेतक बिना ₹ 15.35 करोड़ के 5120 संव्यवहारों के संबंध में आईटीसी कोड को पाया गया।<br>vi. पूरे में, बिहार को आवंटित जीएसटीआईएन का प्रयोग करने की बजाय पश्चिम बंगाल को आवंटित जीएसटीआईएन का प्रयोग करते हुए, ₹ 4.99 लाख की राशि के बिल पास किए गए थे। |
| **3.5.3**<br>**भविष्य निधि मॉड्यूल** | i. 165 कर्मचारियों[86] के पीएफ शेष का दर्शाया जाना जो एक से नौ वर्ष पहले सेवानिवृत हो चुके थे। रेल मंत्रालय ने आवश्यक कार्यवाही के लिए लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया (जून 2021)।<br>ii. उरे में पीएफ के निपटान में 623 कर्मचारियों की सेवानिवृति की तिथियों से 82 महीने तक की देरी हुई थी। ऐसे ही उदाहरण उमरे में भी पाये गए। पीएफ के निपटान में 19 कर्मचारियों की सेवानिवृति की तिथियों से 13 महीने तक की देरी हुई थी। |

[84] *टी1 और टी2 (कोई क्रेडिट नहीं) और टी3 (क्रेडिट प्रतिबंध)।*

[85] *पूतरे, पूमरे, उमरे, उरे, उपरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दपरे और पमरे*

[86] *दरे (32), पूसीरे (46) और उरे (87)*

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| **3.5.3**<br>**प्रोत्साहन मॉड्यूल** | लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईपीएएस में प्रोत्साहन की स्वीकार्यता को शासित करने वाले संबंधित प्रावधानों[87] के अभाव के कारण पूरे में ₹ 34.98 लाख तक के प्रोत्साहन का अनियमित/ अधिक भुगतान हुआ। पेरमबुर कार्यशाला (दरे) के 20 कर्मचारियों को 2018-20 के दौरान ₹ 2.30 लाख का ऐसा ही अधिक भुगतान किया गया। |
| **3.5.3**<br>**बुक्स मॉड्यूल** | i. प्रणाली आवंटन के सही शीर्ष (एचओए) की स्वीकृति के लिए मौजूदा प्रावधानों से पर्याप्त रूप से सज्जित नहीं थी। प्रणाली ने मानकीकृत आठ अंकों से कम/ज्यादा लंबाई के एचओए को स्वीकार किया है (पूसीरे, उपरे और दपरे)। हालांकि, सात जोनल रेलवे[88] में, प्रणाली अवैध आवंटन की चेतावनी देती है। चार जोनल रेलवे[89] में अवैध/गलत एचओए को अपनाने के 565 मामले पाए गए थे।<br>ii. प्रणाली में बैंक स्क्रोल के साथ चेको के स्वचालित मिलान के लिए प्रावधानों का अभाव था। नौ जोनल रेलवे[90] में, चैक और बैंक स्क्रोल के साथ बिलों का मिलान मैनुअल हस्त्य रूप से किया गया था। |
| **3.5.3**<br>**बिल पासिंग मॉड्यूल** | i. मॉड्यूल में सांविधिक कटौतियों जैसे आयकर, कल्याण उपकर तथा निर्णीत हर्जाना (एलडी) के लिए प्रावधान नहीं है।<br>ii. उपयोगकर्ता निर्णय लेने और एक विशेष टाइप की फ्लैगिंग देने के लिए स्वतंत्र है। आईटीसी के गलत फ्लैगिंग के बहुत से उदाहरण पाए गए। दरे प्रशासन को आईपीएएस डेटा में आईटीसी के गलत फ्लैगिंग के कारण ₹ 89.66 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता पर ₹ 8.98 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। उपरे में, आईपीएएस में आईटीसी की गलत फ्लैगिंग के कारण ब्याज के रूप में ₹ 36.51 लाख का भुगतान किया गया था। |
| **3.5.3**<br>**अवकाश मॉड्यूल** | i. संबंधित कर्मचारी के अवकाश खाते में नकदीकृत अवकाश डेबिट करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था और इसे हस्त्य रूप से किया गया था। ऐसे उदाहरण देखे गए, जहां 21 कर्मचारियों के अवकाश खातों में अवकाश नकदीकरण को डेबिट नहीं किया गया था। मरे में, 33 कर्मचारियों को ₹ 5.93 लाख का अवकाश नकदीकरण उसी ब्लॉक अवधि में दो बार किया गया था।<br>ii. अवकाश मॉड्यूल में अप्रयुक्त कार्यभार ग्रहण समय को क्रेडिट करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। |

[87] *भारतीय रेलवे रोलिंग स्टॉक संहिता के पैरा 418 के अनुसार, कार्यशाला के कारीगर कर्मचारियों को उनके द्वारा बचाए गए समय के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है और इसका मूल्यांकन रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रोत्साहन बोनस प्रति घंटा दरों पर किया जाता है।*

[88] *पूतरे, उसीरे, उरे, उपरे, दपूमरे, पूतरे और परे*

[89] *उमरे-10, उरे-19 उपरे-501 और दपरे 35*

[90] *मरे, पूमरे, उपूरे, उसीरे, उपरे, उरे, दपूरे, पमरे, और परे*

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष | |
|---|---|
| **पैरा का संदर्भ** | **लेखापरीक्षा निष्कर्ष** |
| **3.5.4 आईपीएएस में प्रयोक्ता प्रबंधन** | i. **यूजर-आईडी सामान्यत:** जोन या लेखांकन विशेष है। यह संबंधित जोन या लेखांकन ईकाई के डेटा/प्रणाली तक पहुँच अनुमत करता है। उसीरे में उरे के कर्मचारी संख्या 50303065790 से संबंधित एडमिन प्रयोक्ता (**ADMINDLI 01**) द्वारा चार प्रयोक्ता आईडी बनाई गई थी। उरे की दो प्रयोक्ता-आईडी को पूतरे की बिल ईकाईयों के साथ जोड़ा गया था। पूरे में, उरे एडमिन प्रयोक्ता ( **ADMINDLI 01**) के अर्न्तगत उरे नामावली के साथ तीन अंतिम प्रयोक्ता पूरे के 197 बिल ईकाईयों तक पहुँच के साथ प्रणाली में परिभाषित किए गए थे। अन्य जोनों के प्रयोक्ता-आईडी द्वारा डेटा/प्रणाली तक पहुँच की अनुमति अपर्याप्त प्रयोक्ता प्रबंधन को दर्शाती है, जो प्रणाली के लिए खतरा हो सकती है।<br>ii. पूसीरे में, पांच एडमिन (प्रयोक्ता संख्या 108006120, 121, 125, 127 और 12201168903) अवैध कर्मचारी संख्या के साथ बनाए गए थे। इन कर्मचारियों का विवरण कर्मचारी मुख्य तालिका में उपलब्ध नहीं था।<br>iii. दपूरे में, सीओ7 वाउचर संख्या 07120118700097 दिनांक 06.09.2018 को रांची में निर्माण लेखाओं में दो स्तरों पर पास किया गया था। दोनों स्तरों पर प्रयोक्ता एक ही था, जो दर्शाता था कि स्तर-1 और स्तर-2 को पास करने वाला प्राधिकार एक ही प्रयोक्ता को आवंटित किया गया था। |
| **3.5.5 आईपीएएस का लगातार उन्नयन** | फरवरी 2017 में, रेलवे बोर्ड ने, अतिरिक्त विशेषताओं/रिपोर्ट की आवश्यकता और आईपीएएस के कार्यान्वयन के पश्चात जोनल रेलवे द्वारा किए गए मौजूदा मॉड्यूल में सुझाव/बदलावों जैसे मामलों को मॉनीटर करने के लिए एक तंत्र ढूंढ निकाला। आठ जोनल रेलवे को नोडल रेलवे[91] के रूप में नामित किया गया। जोनल रेलवे को अपने संबंधित नोडल रेलवे को मामले सम्बोधित करने थे। संबंधित नोडल रेलवे को परिणामस्वरूप, मौजूदा निर्देशों, नियमों और विनियमनों के संबंध में इन मामलों का अध्ययन करना था। नोडल रेलवे तब संबंधित एफएएंडसीएओ के अनुमोदन के साथ आईपीएएस मॉड्यूल में आवश्यक संशोधन/बदलाव के लिए सीआरआईएस को सुझाव देगा। सभी जोनल रेलवे को संबंधित नोडल रेलवे को संदर्भित मॉड्यूल-वार मामलों की स्थिति आरबी को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।<br>आरबी दिशानिर्देशों के अनुसार, नोडल रेलवे द्वारा मासिक आधार पर रेलवे से प्राप्त संदर्भों पर मॉड्यूल-वार स्थिति की समीक्षा के साथ उनके अपने सुझावों और सीआरआईएस के साथ लंबित संदर्भों पर अनुवर्ती कार्रवाई किया जाना था।<br>सितम्बर 2019 में, आरबी ने सीआरआईएस को बदलाव अनुरोध के लिए एक प्रारूप बनाने का सुझाव दिया जिसमें समस्याओं, जिसमें बदलाव, लाभों आदि के माध्यम से संबोधित किया जाना था, को शामिल करना चाहिए। अक्टूबर 2019 में सीआरआईएस ने सॉफ्टवेयर बदलाव अनुरोध के लिए एक प्रारूप बनाया। बदलाव सीआरआईएस द्वारा किए जाएंगे और इसकी जांच और स्वीकृति के लिए नोडल रेलवे को सौंपे जाएंगे। एक बार स्वीकार होने के पश्चात, कार्यत्मकता सभी जोनल रेलवे के लिए जारी की जाएगी। |

[91] *मरे, पूरे, दपूमरे, दपूरे, उरे, परे, दमरे और पूतरे*